राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 70/06–07

10.11.2006 सामान्यतः किसी संस्था को सूचना नहीं दी जानी है बल्कि व्यक्ति विशेष को दी जानी है। सुनवाई हेतु दिनांक–06.12.06 को प्रातः 11.00 बजे रखें तथा आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

06.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 आवेदक श्री भगवान झा उपस्थित थे। आयोग किसी संस्था की ओर से दिये गये आवेदन पत्र पर सामान्यतः विचार नहीं करता है। आवेदक ने अनुरोध किया कि उनके आवेदन पत्र को उनके द्वारा स्वयं दिया हुआ माना जाय। आवेदक ने यह भी बताया कि उनके द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को वांछित सूचना के लिए अनुरोध किया गया, परन्तु उन्हें किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी अतएव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, बक्सर को निदेश दिया जाय कि वे आवेदक को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के बारे में सभी आवश्यक सूचना दें एवं इसकी सूचना आयोग को भी दी जाय। जिला पदाधिकारी, बक्सर को निदेश दिया जाय कि वे अपने स्तर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी को अविलम्ब कार्रवाई करने के लिए निदेश दें।

पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी उपस्थित हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी, बक्सर ने न तो मंतव्य भेजा है और न उपस्थित हैं। आयोग एक और मौका देते हुए अगली तारीख के पहले उन्हें अपना मंतव्य भेजने के लिए निदेशित करती है। यह आदेश उन्हें जिला पदाधिकारी, बक्सर के माध्यम से भी भेजी जाय और स्वतः भी भेजा जाय। वादी उपस्थित हैं। उन्हें अगली तारीख का ज्ञान है। पुनः सुनवाई के लिए दिनांक–19.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की जाती है।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

19.02.2007 वादी उपस्थित हैं । जिला पदाधिकारी, बक्सर ने अपने दिनांक 15.02.2007 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री भगवान ओझा को सारी सूचनाएँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी द्वारा प्राप्त करा दी गयी है पर वादी का कहना है कि सूचनाएँ अपूर्ण हैं और क्रम संख्या 2, 3 तथा 4 पूछे गए सूचनाएँ उन्हें प्राप्त नहीं करायी गयी है । उनका यह भी कहना

है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन तथा वृद्धा पेंशन के लाभार्थी की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई है । उनका यह भी कहना है कि अंत्योदय योजना और इंदिरा आवास के लाभार्थियों को राशि के बारे में दी गई सूचना भी पूर्ण नहीं है । अतः वादी द्वारा उठाये गए आपत्तियों की प्रति जिला पदाधिकारी, बक्सर को भेजते हुए उन्हें वांछित सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी के द्वारा वादी को दिलवाकर उसकी सूचना आयोग को 12.03.2007 तक देकर सूचित करें। सुनवाई की आगामी तिथि–15.03.07 को 10.30 बजे प्रातः में रखें।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.03.2007 आवेदक उपस्थित हैं। अपर समाहर्त्ता–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, बक्सर एवं अनुमंडल पदाधिकारी,डुमरांव भी उपस्थित हैं। दोनों का कहना है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना एक सप्ताह के अंदर दे दी जायेगी। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्र के अनुसार अनुलग्नक की एक प्रति भी वादी को दे दी गयी है। चूंकि अपर समाहर्त्ता नें बाकी सूचना देने के लिये एक सप्ताह का समय मांगा है, अतः उन्हें निदेशित किया जाय कि एक सप्ताह के अंदर आवेदक को सूचना दे देंगें। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त